# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर

CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org

Phone No. (0141) 2227514


---

**क्रमांक : एफ3 (वाहनों के निस्तारण)/राजसीड्स/2024–25/** 16591-603 **दिनांकः** 15.10.24

## वाहन नीलामी सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो0 लि0, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर के नकारा (कंडम) डीजल वाहन मॉडल–2012 (Tata Safari RJ14-UE-0205) जो जहॉ है जैसा है जिस अवस्था में है को दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 2.30 बजे खुली बोली के माध्यम से पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर परिसर में नीलाम की जानी है। नकारा वाहन का आरक्षित मूल्य 1.06 लाख रू. (एक लाख छः हजार रूपये) है। अतः इच्छुक फर्म/व्यक्ति धरोहर राशि के रूप में रू. 2120/– बैंक ड्राफ्ट/ नैफ्ट/ऑनलाईन ट्रॉन्सफर द्वारा निगम खाते में नीलामी समय से पूर्व जमा कराकर संलग्न प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये खुली बोली में भाग ले सकता है। खुली बोली में मौके पर किसी भी बोलीदाता द्वारा 2000 रू. के गुणकवृद्वि में बोली लगायी  लगाई जा सकेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत, आंशिक/पूर्ण स्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। नीलामी की शर्ते/विवरण SPP Portal से भी देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

UBN:- SDS2425GSOB00023

**(निमिषा गुप्ता)**
**प्रबन्ध निदेशक**
**(DIN-10565348)**

**प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त), राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर।
2. अभियंता, स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संबंधित अधिकारी नीलामी समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. कार्यालय आदेश क्रमांक 1557–1563 दिनांक 23.04.2024 के द्वारा नीलामी प्रकिया हेतु गठित समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. कम्पनी सचिव शाखा, राजसीड्स, मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त खुली बोली की निविदा सूचना निगम की वेबसाईट पर अतिशीघ्र प्रदर्शित करें।
6. स्टोर शाखा मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त खुली बोली की निविदा सूचना एसपीपी पोर्टल पर अतिशीघ्र प्रदर्शित करें।
7. केयर टेकर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी प्रकिया सफल बनाने हेतु उपस्थित रहने का श्रम करें।
8. नोटिस बोर्ड, राजसीड्स मुख्यालय जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : Managing Director
Date: 2024.10.15 17:00:43 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website www.rajseeds.org Phone No. (0141) 2227514

क्रमांक : एफ3 (वाहनों के निस्तारण)/राजसीड्स/2024–25/16604 दिनांकः 15.10.2024

**वाहन नीलामी सूचना**

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो० लि०, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर के नकारा (कंडम) डीजल वाहन मॉडल–2012 (Tata Safari RJ14-UE-0205) जो जहाँ है जैसा है जिस अवस्था में है को दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 2.30 बजे खुली बोली के माध्यम से पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर परिसर में नीलाम की जानी है। नकारा वाहन का आरक्षित मूल्य 1.06 लाख रू. (एक लाख छः हजार रूपये) है। अतः इच्छुक फर्म/व्यक्ति धरोहर राशि के रूप में रू. 2120/– बैंक ड्राफ्ट/ नैफ्ट/ऑनलाईन ट्रॉन्सफर द्वारा निगम खाते में नीलामी समय से पूर्व जमा कराकर संलग्न प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये खुली बोली में भाग ले सकता है। खुली बोली में मौके पर किसी भी बोलीदाता द्वारा 2000 रू. के गुणकवृद्वि में बोली लगायी लगाई जा सकेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत, आंशिक/पूर्ण स्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। नीलामी की शर्तें/विवरण SPP Portal से भी देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

UBN:- SDS2425GSOB00023

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
(DIN-10565348)

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : Managing Director
Date: 2024.10.15 17:02:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11157544

| Department Details: | |
|---|---|
| Department Name | Rajasthan State Seeds Corporation Limited |
| Department Type | Corporation |
| Procuring Entity Name: | Mrs. Nimisha Gupta |
| Procuring Entity Contact: | Email: mdrajseeds[at]gmail[dot]com, Mobile: 9829072726 |
| Office Address: | Head Office, 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan,Janpath, Jaipur, Jaipur, (Jaipur), PIN:302005, Landline No.:01412227665, Fax No.:01412227514 |

| NIB Details: | |
|---|---|
| NIB Code | **SDS2425A0023** |
| NIB Reference no. | F3(Auction of Vehicle)/Rajseeds/2024-25/16604 |

| Document | Financial Year | Publish Date | Uploaded on | Published Bids |
|---|---|---|---|---|
| [English n हिन्दी] 157.87 KB | 2024 - 2025 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1 / 1 |

**Publish Bid Details:**

| | Cover(s) | Document | Bid Title / (UBN) | Amount(₹) | Bid Type | Open Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 1 | [English n हिन्दी] 2.17 MB | Auction of Condemned vehicle Tata safari Car model 2012 **(SDS2425GSOB00023)** | ₹ 106000.00 | Goods | 28/10/2024 | 28/10/2024 |

| Bid Details: | |
|---|---|
| Bid Title | Auction of Condemned vehicle Tata safari Car model 2012 |
| Bid Type | Goods |
| Bid Sub Type | Office Vehicles |
| Bid Pattern | Open Competitive Bidding |
| Bid Amount | ₹ 106000.00 |
| Bid Required in Cover(s) | 1 |
| First Appeal Hearing Authority | Principal Secretary |
| Second Appeal Hearing Authority | Finance Secretary Budget |
| **Critical Dates:** | |
| Bid Upload Date | 15/10/2024 |
| Bid Publish Date | 15/10/2024 |
| Bid Submission End Date | 28/10/2024 |
| Bid Open Date | 28/10/2024 |

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website www.rajseeds.org Phone No. (0141) 2227514

क्रमांक : एफ3 (वाहनों के निस्तारण)/राजसीड्स/2024–25/ 16604 दिनांकः 15.10.2024

**वाहन नीलामी सूचना**

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो0 लि0, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर के नकारा (कंडम) डीजल वाहन मॉडल–2012 (Tata Safari RJ14-UE-0205) जो जहॉं है जैसा है जिस अवस्था में है को दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 2.30 बजे खुली बोली के माध्यम से पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर परिसर में नीलाम की जानी है। नकारा वाहन का आरक्षित मूल्य 1.06 लाख रू. (एक लाख छः हजार रूपये) है। अतः इच्छुक फर्म/व्यक्ति धरोहर राशि के रूप में रू. 2120/– बैंक ड्राफ्ट/ नैफ्ट/ऑनलाईन ट्रॉन्सफर द्वारा निगम खाते में नीलामी समय से पूर्व जमा कराकर संलग्न प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये खुली बोली में भाग ले सकता है। खुली बोली में मौके पर किसी भी बोलीदाता द्वारा 2000 रू. के गुणकवृद्वि में बोली लगायी लगाई जा सकेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत, आंशिक/पूर्ण स्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। नीलामी की शर्ते/विवरण SPP Portal से भी देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

UBN–
SDS2425GSOB00023

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
(DIN-10565348)

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : Managing Director
Date: 2024.10.15 17:02:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11157544

# विवरण एवं घोषणा प्रपत्र

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नकारा (कंडम) डीजल वाहन मॉडल–2012 (Tata Safari RJ14-UE-0205) की नीलामी हेतु जारी निविदा सूचना के संबंध में विवरण एवं घोषणा:–

1. नाम:– ..........................................................................................................
2. पिता का नाम:–...............................................................................................
3. पता:–.............................................................................................................
   .......................................................................................................................
4. आधार नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है):–
5. जी.एस.टी. नम्बर (यदि कोई हो):–...........................................................
6. फोन/मोबाईल फोन नम्बर:– .....................................................................
7. राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण –
   **Account Name: Rajasthan State Seeds Corporation Limited**
   **Name of Bank: State Bank Of India**
   **Branch: Commercial Branch, Jaipur**
   **Account No. : 51052136667**
   **IFSC code: SBIN0031781**
8. <u>जमा करवायी गई राशि का विवरण</u>

| क्र.स. | जमा करायी गई राशि (रूपये) | जमा का माध्यम | ड्राफ्ट/ट्रॉजेक्शन आई.डी./यू.टी.आर. नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

* जमा राशि विवरण की फोटोप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

1. नकारा वाहन का निरीक्षण हमारे द्वारा भली–भांति कर दिया गया है। जिसके उपरान्त पूर्ण संतुष्टि पर नकारा वाहन की नीलामी में भाग ले रहे है।
2. यह कि नकारा वाहन के उपयोग रूपान्तरण आदि के जो भी खर्चे, कर आदि होगें, वह सफल बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेगें। नकारा वाहन का किसी गैर कानूनी कार्यो में उपयोग नही किया जावेगा।
3. वाहन का बीमा/बीमा नवीनीकरण करवाने पर समस्त प्रकार का व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यय, टैक्स, अन्य खर्च आदि देय नही होगा।

दिनांक:–

हस्ताक्षर
नाम:–

# विवरण एवं घोषणा प्रपत्र

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नकारा (कंडम) डीजल वाहन मॉडल–2012 (Tata Safari RJ14-UE-0205) की नीलामी हेतु जारी निविदा सूचना के संबंध में विवरण एवं घोषणा:–

1. नाम:– ................................................................................................
2. पिता का नाम:–.....................................................................................
3. पता:–....................................................................................................

4. आधार नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है):–
5. जी.एस.टी. नम्बर (यदि कोई हो):–.........................................................
6. फोन/मोबाईल फोन नम्बर:– .................................................................
7. राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण –

   Account Name: Rajasthan State Seeds Corporation Limited
   Name of Bank: State Bank Of India
   Branch: Commercial Branch, Jaipur.
   Account No. : 51052136667
   IFSC code: SBIN0031781
8. जमा करवायी गई राशि का विवरण

| क्र.स. | जमा करायी गई राशि (रूपये) | जमा का माध्यम | ड्राफ्ट/ट्रॉजेक्शन आई.डी./यू.टी.आर. नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

* जमा राशि विवरण की फोटोप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

1. नकारा वाहन का निरीक्षण हमारे द्वारा भली–भांति कर दिया गया है। जिसके उपरान्त पूर्ण संतुष्टि पर नकारा वाहन की नीलामी में भाग ले रहे है।
2. यह कि नकारा वाहन के उपयोग रूपान्तरण आदि के जो भी खर्चे, कर आदि होगें, वह सफल बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेगें। नकारा वाहन का किसी गैर कानूनी कार्यो में उपयोग नही किया जावेगा।
3. वाहन का बीमा/बीमा नवीनीकरण करवाने पर समस्त प्रकार का व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यय, टैक्स, अन्य खर्च आदि देय नही होगा।

दिनांक:–

हस्ताक्षर
नाम:–

4. नकारा वाहन को सफल बोलीदाता द्वारा अपने नाम पर ट्रान्सफर करवाने पर समस्त प्रकार के आर.टी.ओ. संबंधित एवं अन्य खर्चा आदि होगा वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त नकारा वाहन की आर.सी. (पंजियन प्रमाण पत्र) के निरस्तीकरण अथवा स्थानान्तरण बाबत् लगने वाले समस्त प्रकार के व्यय/राजकीय व्यय शुल्क आदि का वहन खरीददार द्वारा ही किया जावेगा। इसमें राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की राशि तीन दिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/नैफ्ट/ऑनलाईन ट्रान्सफर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैंक खाते मे मय जी.एस.टी. जमा करवानी होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निलामी की सम्पूर्ण राशि (मय जी.एस.टी.) जमा करवाने के उपरान्त दो दिवस में उठाना होगा। जिसका खर्चा खरीददार को व्यय करना होगा।
7. नकारा वाहन की नीलामी पश्चात् डिलीवरी के उपरान्त समस्त जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
8. जी.एस.टी. खरीददार को वहन करना होगा।

उपरोक्त नियमों एवं शर्तो से मैं/हम सहमत है।

दिनांकः—

हस्ताक्षर

नामः—

4. नकारा वाहन को सफल बोलीदाता द्वारा अपने नाम पर ट्रान्सफर करवाने पर समस्त प्रकार के आर.टी.ओ. संबंधित एवं अन्य खर्चा आदि होगा वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त नकारा वाहन की आर.सी. (पंज़ियन प्रमाण पत्र) के निरस्तीकरण अथवा स्थानान्तरण बाबत् लगने वाले समस्त प्रकार के व्यय/राजकीय व्यय शुल्क आदि का वहन खरीददार द्वारा ही किया जावेगा। इसमें राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की राशि तीन दिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/नैफ्ट/ऑनलाईन ट्रान्सफर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैंक खाते मे मय जी.एस.टी. जमा करवानी होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निलामी की सम्पूर्ण राशि (मय जी.एस.टी.) जमा करवाने के उपरान्त दो दिवस में उठाना होगा। जिसका खर्चा खरीददार को व्यय करना होगा।
7. नकारा वाहन की नीलामी पश्चात् डिलीवरी के उपरान्त समस्त जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
8. ज़ी.एस.टी. खरीददार को वहन करना होगा।

उपरोक्त नियमों एवं शर्तो से मैं/हम सहमत है।

दिनांकः—

हस्ताक्षर

नामः—

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org
Phone No. (0141) 5106516,2227514

क्रमांक : एफ3 (स्टोर) / /2024–25/ दिनांक :

## नीलामी में भाग लेने वालों के लिये विशेष सूचना

नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता स्वयं की पहचान के सत्यापन हेतु ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र एवं पेन कार्ड (इनमें से कोई एक दस्तावेज) की दो प्रमाणित छायाप्रति एवं स्थाई निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु बिलजी, पानी, एवं टेलीफोन के बिल तथा आधार कार्ड तथा स्वयं की पहचान हेतु उल्लेखित उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज (जो कि स्वयं की पहचान हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों से भिन्न हो) की दो प्रमाणित छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज की दो नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है। फर्म, कम्पनी एवं संस्था की ओर से नीलानी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को इनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा इनकी ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र की भी दो सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इन दस्तावेजों के अभाव में नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

नीलानी में भाग लेने हेतु जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि /बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रान्सफर या पे आर्डर द्वारा जमा होगी। अंतिम बोली छूटने पर विक्रय मूल्य की ¼ राशि तथा ¾ राशि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी। विक्रय राशि नकद स्वीकार नही की जावेगी। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर बनवाने का दायित्व क्रेता का होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज (पेन कार्ड एवं पहचान पत्र आदि) क्रेता साथ में लावे। वाहन क्रेता द्वारा वाहन की सुपुर्दगी लेने के बाद अधिकतम 30 दिवस की अवधि में परिवहन विभाग से वाहन का (पंजियन) रजिस्ट्रीकरण स्थानान्तरित करवाना होगा एवं इस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वाहन क्रेता द्वारा वाहन की सुपुर्दगी लेते समय वाहन राशि रू. 5000/– (पॉच हजार रूपये मात्र) का राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में देय बैंग ड्राफ्ट या पे आर्डर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र स्थानान्तरित कराने के संबंध में धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अविलम्ब (अधिकतम 30 दिवस में) राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करने के उपरान्त उक्त बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर वाहन क्रेता को वापस लौटा दिये जायेगे। समयावधि पश्चात् रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

राज सीड्स राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ -- जयपुर
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org
Phone No. (0141) 5106516,2227514

क्रमांक : एफ3 (स्टोर)/नकारा वाहन की नीलामी/2024–25/ दिनांक :

नकारा वाहन की नीलामी की शर्तें

· नीलामी मे भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगे–

स्वयं की पहचान के सत्यापन हेतु बिन्दु "क" में अंकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तथा स्थाई निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु बिन्दु (क) एवं (ख) में अंकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज (जो कि स्वयं की पहचान हेतु प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न हो)की दो सत्यापित छायाप्रतियां–

बिन्दु (क)

(i) मतदाता पहचान पत्र।

(ii) ड्राईविंग लाईसेन्स।

(iii) पासपोर्ट।

(iv) पेन कार्ड।

(v) आधार कार्ड।

बिन्दु (ख)

(i) बिजली का बिल।

(ii) पानी का बिल।

(iii) टेलीफोन का बिल।

(iv) मूल निवास प्रमाण–पत्र।

(ग) पास पोर्ट साईज के दो नवीनतम फोटो।

(घ) फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता का फर्म/कम्पनी/संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से बोली में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र की भी दो सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त दस्तावेजो पर प्रत्येक बोली लगाने से पहले धरोहर राशि निम्नानुसार बैंकर्स चेंक/डी.डी. जो कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम चेक हो जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।

4 एक बार बोली समाप्त होने के बाद वाहनों के मैक, इंजन नम्बर, चेचीस नम्बर और मॉडल के संबंध में या सामान के बारे में कोई भी शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी ओर ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले के लिये यह समझा जायेगा। कि उसने वस्तुओं/वाहन का निरीक्षण कर लिया है और वह नीलामी की शर्तो को मानने के लिये बाध्य है।

5 वाहनों एवं सामान की नीलामी जैसी है जहाँ है के आधार पर की जावेगी अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली से पूर्व वाहन व सामान का पुरा निरीक्षण कर ले तथा वाहन अथवा सामान के विवरण के बारे में अपने आप संतुष्ट कर ले।

6 सबसे उची बोली स्वीकार किये जाने पर विक्रय राशि (नीलामी राशि एवं देय कर) एक चौथाई राशि वाहन/सामग्री नीलामी के अगले कार्य दिवस तक नीलामी स्थल पर ही राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर /निगम बैंक खाते मे ऑनलाईन ट्रान्सफर द्वारा जमा कराई जावेगी। नीलामी दिनांक के अगले कार्य दिवस तक ¼ राशि जमा नही करवाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी यदि क्रेता द्वारा नीलामी दिनांक के अगले कार्य दिवस तक किसी उचित कारणवश ¼ राशि जमा नही कराई जाती है किन्तुं नीलामी दिनांक से आगामी दो दिन तक सम्पूर्ण विक्रय राशि (नीलामी राशि एवं देय कर) का ड़ी.डी./बैंकर चैक/ निगम बैंक खाते मे ऑनलाईन ट्रान्सफर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में क्रेता के कारणों को अभिलिखित करते हुये प्रार्थना पत्र द्वारा अनुरोध करने पर नीलामी को निरस्त/स्वीकार/शिथिलीकरण करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

7 सबसे उची बोली स्वीकार किये जाने पर विक्रय राशि (नीलामी राशि एवं देय कर) तीन चौथाई राशि राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का देय बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर/निगम बैंक खाते मे ऑनलाईन ट्रान्सफर द्वारा ही नीलामी दिनांक से आगामी दो दिन की अवधि के बाद राशि जमा कराने पर नीलामी दिनांक से जमा कराने के दिनांक तक 2 प्रतिशत माह की दर से ब्याज सहित राशि जमा करानी होगी। यह रियायत नीलामी दिनांक से 10 दिन तक रहेगी। जिसमें नीलामी की दिनांक शामिल है। उसके पश्चात् चौथाई राशि जब्त करली जावेगी एवं बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8 नीलामी अवधि में शामिल किये गये वाहन की किसी दिन नीलामी नही होने पर अथवा नीलाम हुए वाहन की नीलामी निरस्त होने/धरोहर राशि जब्त कर लिये जाने पर ऐसे वाहन/सामग्री को उसी नीलामी अवधि में आगामी दिवसों में नीलाम किया जायेगा। जिसकी पृथक सूचना नही दी जाकर उक्त वाहन के नीलामी की सूचना नीलामी से पूर्व नीलामी हेतु नियत दिवस को नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन की नीलामी किये जाने वाले वाहन की सूचि देख लेवे।

9 सुपुर्द– नीलामी छूटने के बाद वाहन नीलामी के दिन सहित तीन दिन के अन्दर हटाना आवश्यक है। ऐसा नही करने पर ब्याज के अतिरिक्त उसे नीलामी दिनांक के 3 दिन पश्चात् से वाहन को उठाने के दिनांक तक रू. 100/– प्रतिदिन की दर से जमीन किराये की वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि बढाये जाने हेतु क्रेता के प्रार्थना पर समयावधि को बढाने/निरस्त/स्वीकार/शिथिलीकरण करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

10 वाहन को पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त भी यदि बोलीदाता दो माह तक वाहन की सुपुर्दगी नही लेता है तो दो माह की समयावधि बाद जमा राशि जब्त कर वाहन को पुनः नीलाम किया जावेगा।

11 वाहन के नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विक्रय राशि बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर/ निगम बैंक खाते मे ऑनलाईन ट्रान्सफर द्वारा तुरन्त जमा करवाकर वाहन और सामान तत्काल उठा ले।

12 बोली स्वीकार किये जाने पर सफल बोली लगाने वाले के द्वारा वाहन/सामानों के नीलामी राशि के साथ सरकार द्वारा निर्धारित दर से जी.एस.टी. (GST) तथा राज्य में लागू अन्य करों एवं शुल्को जो लागू हो का भुगतान भी करना होगा।

13 कोई विभागीय कर्मचारी बोली नही लगा सकेगा।

14 बिना कारण बोली स्वीकार करने अस्वीकार करने बोली को स्थगित/निरस्त करने का प्रबन्ध निदेशक को पूर्ण अधिकारी होगा।

15 इन शर्तो के संबंध में किसी भी शक का समाधान, एवं खुलासा व्यवस्था के लिए नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

16 क्रेता नकारा वाहन की डिलीवरी लेने से पूर्व रजिस्ट्रेशन से इन्जन नम्बर/चेसिस नम्बर/मक/मॉडल आदि चैक कर लेवे। डिलीवरी लेने के पश्चात् इस संबंध में विभाग उत्तरदायी नही होगा और किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी।

17 वाहन नीलामी के पश्चात् वाहन निश्चित अवधि में परिवहन विभाग में ट्रान्सफर निरस्त करवाने की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी तथा सभी तरह की ट्रान्सफर निरस्त चार्जेज का भुगतान क्रेता द्वारा ही परिवहन विभाग में जमा कराने होगें। वाहन स्थानान्तरण में आने वाली बाधा/कठिनाई डाक्यूमेंट में कमी, मूल दस्तावेज खो जाने/नष्ट हो जाने इत्यादि किसी भी समस्या के संबंध में निश्चित अवधि एक माह व्यतीत हो जाने के बाद विभाग को कोई उत्तरदायी नही होगा।

18 वाहन क्रेता द्वारा वाहन की सुपुर्दगी लेने के बाद अधिकतम 30 दिवस की अवधि में परिवहन विभाग से वाहन का रजिस्ट्रीकरण स्थानान्तरित करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वाहन का परिवहन विभाग से स्थानान्तरण कराने के पश्चात् स्थानान्तरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति मोटर गैराज विभाग को अविलम्ब (अधिकतम 30 दिवस) की समयावधि मे प्रस्तुत करनी होगी।

19. क्रेता द्वारा वाहन की सुपुर्दगी लेने से पूर्व नकारा वाहन के लिये राशि रू. 3180/—(रूपये तीन हजार एक सौ अस्सीई मात्र) का बैंक चैक ड्राफ्ट या पे आर्डर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष मे देय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हस्तान्तरित कराने के संबंध में धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। वाहन का परिवहन विभाग से स्थानान्तरण करवाने के पश्चात् स्थानान्तरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मे प्रस्तुत करने के उपरान्त उक्त बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर वाहन क्रेता को वापस लोटा दिये जायेगें। बिन्दु संख्या 18 में उल्लेखित समयावधि में स्थानान्तरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति मोटर गैराज विभाग, को उपलब्ध नही करवाये जाने की दशा में उक्त उक्त बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं उक्त वाहन से संबंधित समस्त/विधिक उत्तरदायीत्व क्रेता के होगें।

20 वाहन का बीमा/बीमा नवीनीकरण करवाने पर समस्त प्रकार का व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यय, टैक्स, अन्य खर्च आदि देय नही होगा।

21 वाहन क्रेता द्वारा नीलामी में लिये गये वाहनों को यदि नष्ट करने /तोड़ने के कार्य में लेता है। तो परिवहन विभाग से वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त/डिलिट करवाकर उसकी प्रति विभाग को प्रस्तुत करने पर ही उक्त रजिस्ट्रीकरण स्थानान्तरण से संबंधित धरोहर राशि क्रेता को लौटायी जा सकेगी।

22 समस्त न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।